



राजकीय कन्या महाविद्यालय गणगौरी बाजार, जयपुर



Website : <https://hte.rajasthan.gov.in/college/ggclangoribazarjpr>

Email: [ggclangbjipur@gmail.com](mailto:ggclangbjipur@gmail.com)

webpage: <https://hte.rajasthan.gov.in/college/ggclangoribazarjpr>

# विवरणिका

(PROSPECTUS)

सत्र 2023 – 2024

महाविद्यालय में नियमित प्रवेश लेने हेतु ,ऑन-लाइन प्रवेश-प्रक्रिया एवं एकीकृत तथा ऑफ-लाइन प्रवेश-प्रक्रिया की जानकारी के लिए आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान की वेबसाइट <http://hte.rajasthan.gov.in> का अवलोकन करें।

नोट:-विद्यार्थी समय-समय पर जारी होने वाली सूचनाओं के लिए महाविद्यालय के सूचना-पट्ट का नियमित अवलोकन करें।

कार्यवाहक प्राचार्य : डॉ. पी. एस. बुनकर

सम्पादक : श्री शैलेंद्र शर्मा

आवश्यक निर्देश

यह विवरणिका महाविद्यालय से सम्बन्धित आवश्यक सूचनाएँ प्रदान करती है। अतः विद्यार्थियों को चाहिए कि इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। इसके मुद्रण के पश्चात् भी राजस्थान सरकार, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर एवं राजस्थान विश्वविद्यालय , जयपुर के आदेशानुसार पाठ्यक्रम, प्रवेश नियमों, शुल्क दरों, छात्रवृत्तियों आदि में परिवर्तन संभव हैं।

## अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	विहंगावलोकन	3
2.	प्राचार्य—संदेश	4
3.	आपका महाविद्यालय	5
4.	पाठ्यक्रम	5
5.	ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के चरण	8
6.	अनुशासन	9
7.	रैगिंग पूर्णतः निषेध एवं दण्डनीय अपराध	10
8.	उपस्थिति नियम	11
9.	पुस्तकालय	12
10.	छात्र—कल्याण एवं सहशैक्षणिक गतिविधियाँ	12
11.	छात्रवृत्तियाँ	16
12.	प्रवेश नियमावली	16
13.	सह—शैक्षणिक गतिविधियाँ	19
14.	प्रवेश एवं अन्य समितियाँ तथा सम्पर्क स्थल	20
15.	नवीन प्रवेश हेतु आवश्यक प्रमाण—पत्र	21



# राजकीय कन्या महाविद्यालय गणगौरी बाजार, जयपुर



Website : : <https://hte.rajasthan.gov.in/college/ggchangoribazarjpr>

Email:-[ggcggbjaiipur@gmail.com](mailto:ggcggbjaiipur@gmail.com)

DCE Site-<http://hte.rajasthan.gov.in>

**webpage:** <https://hte.rajasthan.gov.in/college/ggchangoribazarjpr>

## महाविद्यालय विहंगावलोकन

- ❖ राजस्थान सरकार द्वारा सन् 2022 से कन्या महाविद्यालय के रूप में संचालित ।
- ❖ कला संकाय के पास कोर्स के 07 विषयों हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत, गृह विज्ञान, राजनीति विज्ञान, इतिहास में स्नातक सुविधा। कला संकाय में संगीत शाला (कक्ष) के साथ गृह विज्ञान के लिए सुसज्जित प्रयोगशाला की सुविधा भी उपलब्ध है।
- ❖ विज्ञान संकाय में 5 विषयों में स्नातक स्तर हेतु सुसज्जित प्रयोगशालाओं सहित अध्ययन सुविधा।
- ❖ विद्वान् 11 संकाय सदस्य प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर एवं व्याख्याता हैं, जिनमें 10 पीएच.डी. उपाधि धारक हैं।
- ❖ महाविद्यालय में पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध है। पुस्तकालय में विज्ञान व कला संकाय के पाठ्यक्रम से संबंधित स्तरीय पुस्तक उपलब्ध है।
- ❖ महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए वाहन स्टैण्ड, छात्र परामर्श-केन्द्र, नवाचार एवं प्लेसमेंट सैल, उपलब्ध।
- ❖ महाविद्यालय में इन्टरनेट, ई-मेल, वेबसाईट की सुविधा।

## प्राचार्य संदेश

प्रिय छात्राओं !

“न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते” अर्थात् इस लोक में ज्ञान से बढ़कर पवित्र और कुछ भी नहीं है। 2022 में राज्य सरकार द्वारा छात्राओं को शहर के मध्य उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु खोला गया यह नवीन कन्या महाविद्यालय सुसंस्कारों, उच्च आदर्शों, नैतिक व सांस्कृतिक मूल्यों के निर्माण के साथ अपने प्रयोजन सिद्धि की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस महाविद्यालय में कला एवं विज्ञान संकाय में प्रबुद्ध, कर्मठ, अद्यतन निष्ठावान् समर्पित विद्वान् प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर एवं व्याख्याता -योग्य एवं अनुभवी फैकल्टी अध्यापन कराती है।

महाविद्यालय में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण के साथ विभिन्न रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम संचालित हैं, जिससे छात्राओं के ज्ञान में गुणात्मक सुधार होता है।

यह महाविद्यालय आपके हित, सफलता एवं भविष्य निर्माण के लिए कृतसंकल्प है। यह संस्था ज्ञानार्जन, चरित्र और व्यक्तित्व के चहुँमुखी विकास के लिए पूर्णतः अनुकूल है। यह ज्ञानस्थली आपको नवोत्थान के लिए प्रेरित करती है, जो गुरुजनों का आदर व सहपाठियों से मैत्री करते हुए परिश्रम द्वारा ही सम्भव है।

मैं नव सत्रारम्भ के शुभ अवसर पर प्रवेश लेने वाली और पहले से अध्ययनरत छात्राओं का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ। मुझे विश्वास है कि परिसर में अनुशासन में रहते हुए आप अपने अध्ययन तथा पाठ्येतर ( साहित्यिक, सांस्कृतिक और खेलकूद आदि) गतिविधियों का पूरा लाभ उठा कर महाविद्यालय को गौरवान्वित करेंगी। आप विनम्र व अनुशासित बनकर अनवरत भविष्य निर्माण में नियमित रूप से जुट कर हर क्षेत्र में उच्च आदर्शों वाली इस संस्था की छात्रा होने की श्रेष्ठतम छाप छोड़ें।

मैं इस महाविद्यालय में आपके सुखद तथा स्मरणीय अध्ययनकाल के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।

डॉ. प्रह्लाद सहाय बुनकर  
प्रोफेसर

## आपका महाविद्यालय

### राजकीय कन्या महाविद्यालय गणगौरी बाजार, जयपुर

राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से सम्बद्ध इस महाविद्यालय की स्थापना सन् 2022 में की गई थी। वर्तमान में यहाँ 85 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। शहर के मध्य मुख्य बाजार में स्थित यह महाविद्यालय शहर के आसपास की छात्राओं के लिए अत्यंत सुविधाजनक होने के कारण आकर्षण का केंद्र है। महाविद्यालय व उच्च माध्यमिक कन्या विद्यालय एक ही प्रांगण में स्थित होने से सभी वर्ग की छात्राओं के लिए यह अत्यंत सुलभ शिक्षा का सरल साधन है।

वर्तमान में महाविद्यालय में 11 संकाय सदस्य है जिनमें 10 पीएचडी उपाधि प्राप्त है। पुस्तकालय में स्नातक स्तर की पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तक छात्राओं के अध्ययन के लिए उपलब्ध है। आगामी सत्र से राष्ट्रीय सेवा योजना व स्काउटिंग की रोवर/ रेंजर की एक एक यूनिट प्रारम्भ होगी।

विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास के साथ इनके व्यावसायिक एवं रोजगार उन्नयन के उद्देश्य से महाविद्यालय के प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों के समुचित ज्ञानवर्द्धन हेतु छात्र परामर्श-केन्द्र तथा नवाचार एवं प्लेसमेंट सेल संचालित हैं।

महाविद्यालय में इन्टरनेट, ईमेल तथा वेबसाइट की सुविधा उपलब्ध हैं।

## पाठ्यक्रम

महाविद्यालय में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अनुसार सत्र 2023-2024 के लिए निम्नांकित पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं:-

1. त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम (कला तथा विज्ञान संकाय)
  - विषय / पाठ्यक्रम से सम्बन्धित अद्यतन सूचनाएँ राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की **Site: [www.uniraj.ac.in](http://www.uniraj.ac.in)** से ऑन-लाइन प्राप्त कर सकते हैं।
  - ऑन-लाइन प्रवेश हेतु कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान की वेबसाइट <http://hte.rajasthan.gov.in> पर जानकारी उपलब्ध है।

# भाग 1 स्नातक पाठ्यक्रम

## (क) स्नातक कक्षा पार्ट प्रथम

- इस पाठ्यक्रम की प्रवेश-प्रक्रिया ऑन-लाइन होगी। इसका विस्तृत विवरण प्रवेश-नीति 2023-24 में दिया गया है। इसके लिए ऑन-लाइन प्रवेश-आवेदन दिनांक घोषित होने पर भरे जा सकेंगे।
- आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के आदेशानुसार वर्तमान सत्र 2023-24 में कला संकाय की स्नातक स्तर की प्रत्येक कक्षा के एक वर्ग (सेक्शन) में अधिकतम 100 एवं विज्ञान संकाय में अधिकतम 88 विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा।

- राजस्थान वि.वि. जयपुर के निर्देशानुसार :-

(अ) प्रत्येक स्नातक कक्षा पार्ट प्रथम में निम्नलिखित चार विषय अनिवार्य रूप से लेने होंगे:-

1. सामान्य हिन्दी 2. सामान्य अंग्रेजी 3. पर्यावरण अध्ययन 4. प्रारंभिक कंप्यूटर

(ब) सत्र 2020-21 से (अतः वर्तमान 2023-24 में भी) प्रत्येक स्नातक कक्षा पार्ट प्रथम में ' "आनंदम" विषय अनिवार्य रूप से लेना होगा।

संकायवार ऐच्छिक विषय निम्नानुसार उपलब्ध हैं:-

क्र. स.	NAME OF FACULTY संकाय का नाम	LEVEL स्तर	NAME OF COURSE पाठ्यक्रम	Subject विषय	No.ofSeats सीट संख्या
1	SCIENCE विज्ञान	GRADUATE स्नातक	BACHELOR OF SCIENCE विज्ञान स्नातक	Physics, Maths, Chemistry भौतिक शास्त्र, गणित, रसायन शास्त्र	70
2	SCIENCE विज्ञान	GRADUATE स्नातक	BACHELOR OF SCIENCE विज्ञान स्नातक	Biology, Zoology, Chemistry जीवविज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र	70
3	ARTS कला	GRADUATE स्नातक	BACHELOR OF ARTS कला स्नातक	Hindi Literature हिन्दी साहित्य	70
4	ARTS कला	GRADUATE स्नातक	BACHELOR OF ARTS कला स्नातक	History इतिहास	70
5	ARTS कला	GRADUATE स्नातक	BACHELOR OF ARTS कला स्नातक	Political Science राजनीति विज्ञान	70
6	ARTS कला	GRADUATE स्नातक	BACHELOR OF ARTS कला स्नातक	Sanskrit Literature संस्कृत साहित्य	70
7	ARTS कला	GRADUATE स्नातक	BACHELOR OF ARTS कला स्नातक	English Literature अंग्रेजी साहित्य	70
8	ARTS कला	GRADUATE स्नातक	BACHELOR OF ARTS कला स्नातक	Home Science गृह विज्ञान	70

9	<b>ARTS</b> कला	<b>GRADUATE</b> स्नातक	<b>BACHELOR OF ARTS</b> कला स्नातक	<b>Indian Music (Vocal)</b> भारतीय संगीत	60
---	--------------------	---------------------------	---------------------------------------	---	----

- विषय- संयोजन :- कला संकाय में अधिक विषयों में से कुल 14 विषय संयोजन निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं

समूह क्रमांक	ऐच्छिक विषय
1	राजनीति विज्ञान, गृह विज्ञान, अंग्रेजी साहित्य
2	राजनीति विज्ञान, गृह विज्ञान, संस्कृत साहित्य
3	राजनीति विज्ञान, भारतीय संगीत, अंग्रेजी साहित्य
4	राजनीति विज्ञान, भारतीय संगीत, संस्कृत साहित्य
5	हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान, गृह विज्ञान
6	इतिहास, गृह विज्ञान, अंग्रेजी साहित्य
7	इतिहास, गृह विज्ञान, संस्कृत साहित्य
8	इतिहास, भारतीय संगीत, अंग्रेजी साहित्य
9	इतिहास, भारतीय संगीत, संस्कृत साहित्य
10	इतिहास, राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी साहित्य
11	इतिहास, राजनीति विज्ञान, संस्कृत साहित्य
12	राजनीति विज्ञान, भारतीय संगीत, हिंदी साहित्य
13	इतिहास, गृह विज्ञान, हिंदी साहित्य
14	इतिहास, भारतीय संगीत, हिंदी साहित्य

नोट :- इनके अतिरिक्त विषय संयोजन अमान्य है।

### (ख) स्नातक कक्षा पार्ट द्वितीय

- 'एकीकृत प्रवेश-प्रक्रिया' के अन्तर्गत अपनी पूर्व कक्षा का परीक्षा परिणाम आने से पहले ही महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों को अग्रिम कक्षा में प्रोन्नत मान लिया जाएगा। उन्हें **निर्धारित तिथि तक अपना शुल्क ONLINE जमा करवाना होगा**। परीक्षा परिणाम में अनुत्तीर्ण होने पर उनका प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा और शुल्क लौटा दिया जाएगा।
- जिन विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा में सम्मिलित होना है, उनको सत्र के प्रारम्भ में ही प्रवेश की निर्धारित तिथि तक अगली कक्षा में अस्थाई प्रवेश ले लेना चाहिए। उनकी उपस्थिति महाविद्यालय में अध्ययन प्रारम्भ होने की तिथि से गिनी जाएगी। प्रवेश न लेने की स्थिति में परिणाम घोषित होने के बाद उनका नियमित प्रवेश नहीं हो सकेगा।

# महाविद्यालय में सत्र 2023–24 के लिए प्रवेश–प्रक्रिया के मुख्य चरण

## ऑन–लाईन प्रवेश आवेदन–पत्र भरने के मुख्य चरण

ऑन–लाईन प्रवेश आवेदन पत्र भरने से पूर्व स्कैन करके तैयार रखें  
वर्तमान फोटो,हस्ताक्षर,अर्हकारी परीक्षा की अंक तालिका, केटेगरी हेतु नियमानुसार जाति  
प्रमाण–पत्र,बोनस हेतु अधिकतम अंक अर्जित कर सकने वाला प्रमाण पत्र स्कैन करके

1. प्रवेशार्थी द्वारा ऑन–लाइन प्रवेश–प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर SSO ( Single Sign On) ID द्वारा सभी कार्य सम्पादित किए जाएंगे ।
2. प्रवेश–आवेदन–पत्र में प्रवेशार्थी को बैंक विवरण देना होगा ।
3. ऑन लाइन प्रवेश आवेदन पत्र भरने के लिए प्रवेशार्थी को स्वयं के घर पर स्थापित इन्टरनेटयुक्त कम्प्यूटर, ई–मित्र, साइबर कैफे आदि से आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की नई वेबसाइट **web-site <http://www.hte.rajasthan.gov.in/>** पर प्रवेश नीति सहित समस्त जानकारी एवं प्रवेश नियमावली उपलब्ध है ।
4. ऑन लाइन प्रवेश आवेदन पत्र भरने के लिए **<http://www.hte.rajasthan.gov.in/>** web-site पर **ADMISSION** menu पर **CURSOR** आते ही **Department of College Education** दिखाई देगा एवं जैसे ही इस पर **CURSOR** आएगा तो **Under Graduate Admission drop down menu** दिखने लगेगा उस पर **Click** करते ही **SSO window** खुल जाएगी और इस SSO ( Single Sign On) ID के प्लेटफॉर्म पर अपनी **ID, PASSWORD & Captcha Code** भरकर **proceed** करेंगे तो उभरने वाले **DCEAPP** को **Click** करते ही **Admission Page** खुल जाएगा ।
5. प्रवेशार्थी वहाँ ऑनलाइन एडमिशन फार्म, फार्म भरने के निर्देश, त्वरित पूछे जा सकने वाले प्रश्न (**FAQS**), फार्म भरने हेतु ऑडियो–विजुवल सहायता आदि सुविधाएँ प्राप्त कर सकते हैं ।
6. ऑन–लाइन एडमिशन पर क्लिक करते ही इनमें क्रम सं 289 पर **Govt. Girls College, Gangori Bazar, Jaipur** का नाम उभरेगा । प्रवेशार्थी द्वारा इसको क्लिक करने पर इस महाविद्यालय में ऑनलाइन एडमिशन फार्म को भरने के छह तरीके (**Path**) सबसे पहले प्रदर्शित होंगे :-
  - (1) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान **Rajasthan Board (RBSE)** से सीनियर सेकेण्डरी परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों हेतु ।
  - (2) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड **CBSE Rajasthan State** सीनियर सेकेण्डरी में बैठे विद्यार्थियों हेतु ।
  - (3) **ITI with English** करने वाले प्रवेशार्थियों हेतु ।
  - (4) **Polytechnic Diploma** करने वाले प्रवेशार्थियों हेतु ।
  - (5) **Preparatory Course** करने वाले प्रवेशार्थियों हेतु ।
  - (6) अन्य शिक्षा बोर्ड (**Other**) द्वारा सीनियर सेकेण्डरी करने वाले विद्यार्थियों हेतु ।
7. प्रवेशार्थी को इस फार्म की प्रत्येक प्रविष्टि सही तरीके से भरनी होगी ।
  - (क) **Others** के **Path** में सारी प्रविष्टि एक– एक कर स्वयं भरनी होगी ।



- (ख) अन्य दोनों बोर्ड (**RBSE/CBSE**) के **Path** का चयन करने पर प्रवेशार्थी के स्वयं एवं उसके पिता के नाम का प्रथम अक्षर तथा रोल नम्बर फीड करते ही नाम, वर्ग, अंकों, संकाय आदि की सूचनाएँ स्वतः ही प्रदर्शित हो जाएँगी।
8. प्रवेशार्थी को अपनी समस्त जानकारी जैसे आधार कार्ड का नम्बर, मोबाइल नं., बैंक खाते का विवरण आदि के साथ महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में भागीदारी हेतु चार प्राथमिकताओं के रूप में भरना अनिवार्य है।
  9. फार्म के अन्त में उसे अपना वर्तमान फोटो, हस्ताक्षर, अर्हकारी परीक्षा की अंक तालिका, कटेगरी हेतु जाति प्रमाण पत्र, बोनस हेतु अधिकतम अंक अर्जित कर सकने वाला प्रमाण पत्र स्कैन करते हुए अपलोड करना होगा।
  10. प्रवेशार्थी पूरा फार्म भरने के बाद उसे सबमिट करे, उसमें त्रुटि होने पर फार्म के ऊपर लाल अक्षरों में कमियों के निर्देश मिल जाते हैं।
  11. फार्म सबमिट करते ही प्रवेशार्थी द्वारा दिये गये मोबाइल नं. पर उसे एस.एम.एस. द्वारा आई. डी. नम्बर प्राप्त हो जाएगा एवं वह फार्म का प्रिंट भी प्राप्त कर सकता है।
  12. प्रवेशार्थी इस साइट पर महाविद्यालय के वेब-पेज से महाविद्यालय से सम्बन्धित जानकारी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों जैसे प्रवेश-नीति, प्रोस्पेक्ट्स आदि का प्रिन्ट प्राप्त कर सकता है।
  13. **महत्त्वपूर्ण निर्देश:-** प्रवेशार्थी को फॉर्म भरते ही फॉर्म की हार्डकॉपी कॉलेज में जमा नहीं करवानी है। अस्थाई मेरिट लिस्ट में स्थान आने पर प्रवेशार्थियों को **SMS** से इसकी सूचना मिलेगी। इसके पश्चात् उन्हें प्रवेश के **बधाई पत्र** लेकर निर्धारित तिथि तक मूल प्रमाणपत्रों की जाँच के लिए महाविद्यालय आना होगा। महाविद्यालय द्वारा दस्तावेज-सत्यापन करने तथा **E-Mitra Posting** होने पर निर्धारित फीस ई-मित्र पर जमा करवानी होगी।
  14. इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में **ओ.बी.सी. एवं एम.बी.सी. छात्रों हेतु ओ.बी.सी. का जाति प्रमाण-पत्र** ही मान्य होगा, वह **एक वर्ष** से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। इस सन्दर्भ में इससे पूर्व के दो वर्षों में जारी **ओ.बी.सी. प्रमाण पत्रों** को अपलोड करने पर साइट उसे **एक अण्डरटेकिंग शपथपत्र परिशिष्ट-ड (Schedule-ड)** लगाने का निर्देश देती है प्रवेशार्थी उसे डाउनलोड कर सत्यापित करते हुए प्रवेश फॉर्म के साथ अपलोड करेगा या प्रवेश फीस जमा कराते समय प्रवेशार्थी मूल जाति प्रमाण-पत्र और आवश्यकतानुसार **परिशिष्ट-ड (Schedule-ड)** साथ लाएगा तो ही उसे ओ.बी.सी. या एम.बी.सी. कटेगरी का लाभ मिल सकेगा।
  15. **B.A. Part I** के प्रवेशार्थियों को न्यूनतम 5 तथा अधिकतम 7 **Subject Combination** भरना आवश्यक है। उनका आवेदन पत्र तभी **Submit** होगा।
  16. **स्नातक पार्ट द्वितीय एवं तृतीय तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध का शुल्क निर्धारित तिथि तक E-Mitra पर जमा करवाना होगा।**

## अनुशासन

अनुशासन व्यक्तित्व विकास का आधार एवं पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति का महत्त्वपूर्ण उपकरण है। स्व-अनुशासित विद्यार्थी महाविद्यालय एवं समाज की सम्पत्ति होते हैं। अतः समस्त विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे महाविद्यालय की स्वस्थ परम्पराओं का आदर करें तथा आचार-संहिता का पालन करें। विद्यार्थी अपनी सोच-समझ में यह परिवर्तन लाएँ कि आचार-संहिता का पालन उनके लिए प्रतिबन्ध के रूप में नहीं है वरन् यह उनके लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्ग को आसान बनाने का एक माध्यम है।

आपके व्यक्तित्व विकास में जहाँ महाविद्यालय आपको विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करता है वहीं महाविद्यालय की अपनी कुछ सीमाएँ भी हैं। अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना आपका अधिकार है किन्तु अधिकारों की माँग करते समय महाविद्यालय की सीमाओं को ध्यान में रखना तथा संयत व्यवहार करना आपका कर्तव्य है।

विद्यार्थियों से निम्नांकित बातों का विशेष रूप से ध्यान रखने की अपेक्षा की जाती है :-

1. महाविद्यालय के बरामदों में अनावश्यक रूप से आवगमन न करें और न ही अध्ययन कक्ष के सामने एकत्रित होकर वार्तालाप करें।
2. अपने वाहन को नियत स्थान पर ही खड़ा करें।
3. प्राध्यापकगण एवं अन्य समस्त कर्मचारियों के साथ शिष्टाचारपूर्वक व्यवहार करें। किसी भी प्रकार से महाविद्यालय की सम्पति को नुकसान न पहुँचाएँ।
4. महाविद्यालय के नियमों व परम्पराओं का पालन करें।
5. महाविद्यालय-प्रांगण व अध्ययन-कक्ष की दीवारों को गन्दा न करें तथा स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें।
6. महाविद्यालय परिसर में सिगरेट, तम्बाकू, गुटका एवं अन्य मादक-द्रव्यों अपने पास रखना, उनका क्रय-विक्रय एवं सेवन करना वैधानिक अपराध है।
7. महाविद्यालय प्रांगण में लगे पेड़-पौधों के विकास एवं संरक्षण में सहयोग प्रदान करें और स्वस्थ पर्यावरण के सहभागी बनें।
8. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार "रैगिंग" (उत्पीड़न) गंभीर अपराध है। इस अपराध में लिप्त पाए जाने पर सम्बन्धित विद्यार्थी को महाविद्यालय से तुरन्त निष्कासित कर दिया जाएगा। (विस्तृत जानकारी के लिए आगामी पृष्ठ का अध्ययन करें।)

महाविद्यालय प्रांगण में नियमित विद्यार्थियों के अतिरिक्त किसी भी बाहरी व्यक्ति का बिना अनुमति के प्रवेश दण्डनीय अपराध है। महाविद्यालय के नियमों एवं परम्पराओं के उल्लंघन का दोषी विद्यार्थी अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी होगा। दोषी विद्यार्थियों को प्राचार्य द्वारा निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक प्रावधानों के तहत दण्डित किया जा सकता है :-

- (क) चेतावनी (ख) वित्तीय दण्ड (ग) महाविद्यालय से निलम्बन  
(घ) महाविद्यालय से निष्कासन अथवा (ङ) निस्सारण

यदि कोई विद्यार्थी गंभीर दुर्यवहार अथवा कर्तव्यहीनता का दोषी पाया जाएगा तो अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्राचार्य द्वारा -

1. उसे कम से कम एक माह के लिए निष्कासित किया जा सकता है।

अथवा

- 6 माह से कम नहीं, किन्तु एक शैक्षणिक वर्ष से अधिक नहीं के लिए निष्कासन किया जा सकता है।

अथवा

उस विद्यार्थी को आगामी विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

2. ऐसा निष्कासित हुआ विद्यार्थी सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य की अनुमति के बिना किसी अन्य महाविद्यालय में प्रवेश नहीं पा सकता है और न ही निस्सारित अवधि के दौरान उसे किसी अन्य महाविद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा।

## रैगिंग पूर्णतः निषेध एवं दण्डनीय अपराध

**रैगिंग से सम्बन्धित है :-**

किसी छात्र या छात्राओं द्वारा दूसरे को मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा प्रताड़ित करना, छेड़ना, अपशब्द कहना, छात्र के साथ दुर्यवहार, उसे अनुशासनहीन गतिविधियों में लगाना, ऐसा कार्य करने के लिए कहना जिससे उसे लज्जा की भावना, पीड़ा/घबराहट उत्पन्न हो या मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव पड़े, वरिष्ठ होने के कारण किसी छात्रा का आर्थिक, शारीरिक शोषण करना, आपराधिक बल प्रयोग करना, प्रहार करना, यौन सम्बन्धी अपराध अप्राकृतिक अपराध आदि।

**दण्ड या सजा :-**

- कक्षा में उपस्थित होने से निलम्बन/प्रवेश रद्द करना।
- संस्था से 4 वर्षों तक के लिए निष्कासन करना।

- छात्रवृत्ति/अन्य लाभों को रोकना या वंचित करना।
- परीक्षा में उपस्थित होने से रोकना/परीक्षा परिणाम रोकना।
- रैगिंग में लिप्त पाये जाने पर टी.सी./सी.सी. में उल्लेख करना।
- आपराधिक कार्यवाही

**नोट:—विद्यार्थियों को प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न रैगिंग के सम्बन्ध में शपथ-पत्र स्वयं व अभिभावक के हस्ताक्षर कर आवश्यक रूप से भरना होगा।**

रैगिंग के खिलाफ फोन नम्बर 18001805522 व ईमेल [helpline@antriagging.net](mailto:helpline@antriagging.net) पर भी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।

- विश्वविद्यालय परीक्षा में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत नकल की सामग्री पाया जाना, अनुशासनहीनता, अनुचित व्यवहार करना दण्डनीय अपराध है। ऐसा पाए जाने पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
- विश्वविद्यालय परीक्षा में मोबाइल फोन लाना पूर्णतः वर्जित है। ऐसा पाये जाने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

## उपस्थिति नियम

1. प्रत्येक विद्यार्थी के लिए सम्पूर्ण सत्र में प्रत्येक विषय एवं प्रेक्टिकल्स में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। उपस्थिति की अनिवार्यता का नियम स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की कक्षाओं पर समान रूप से लागू होगा।
2. एन.सी.सी. परेड व कैम्प, कॉलेज की ओर से आयोजित खेल-कूद, सांस्कृतिक गतिविधियों तथा विश्वविद्यालय समारोह में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को जितने वास्तविक दिन कक्षाओं में उपस्थिति रहने से वंचित रहेंगे उतने ही दिनों का उपस्थिति लाभ दिया जाएगा।
3. अन्य सभी मामलों में जिनमें पूरक परीक्षा के बाद प्रवेश लेने वाले छात्र भी हैं, उपस्थिति प्रतिशत की गणना उसी दिन से की जाएगी जिस दिन से कक्षाएँ प्रारम्भ हुई होंगी, न कि उस तिथि से जबकि विद्यार्थी ने कक्षा में उपस्थित होना आरम्भ किया हो। अतः जो विद्यार्थी विलम्ब से प्रवेश लेंगे उसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। यही नियम समान रूप से उन विद्यार्थियों पर भी लागू होगा जो प्रवेश के बाद अपने विषय बदलते हैं क्योंकि एक विषय की उपस्थिति दूसरे विषय में नहीं जोड़ी जा सकती है।
4. सत्र के मध्य में स्थानान्तरित होकर आने वाले मामलों में यदि छोड़ा गया महाविद्यालय इसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है और विद्यार्थी समान विषयों के साथ ही प्रवेश ले रहा है तो उपस्थिति स्थानान्तरित हो सकेगी, जिसका प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व छात्रा पर होगा।
5. राज्य सरकार के निर्देशानुसार महाविद्यालय स्तर पर आयोजित कक्षा टेस्ट में उपस्थिति का लाभ कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय व विश्वविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
6. माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा एस.बी.सिविल.याचिका संख्या 4557/94 तथा अवमानना याचिका संख्या 87/97/में दिये गये आदेश दिनांक 5.12.1995 एवं दिनांक 24.10.1997 के

अनुसार सभी नियमित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।

- विशेष —: सत्रान्त में जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति निर्धारित प्रतिशत से कम होगी, उनके विरुद्ध राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान नियम के अनुसार ऐसा विद्यार्थी जिसकी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होती है वह विश्वविद्यालय परीक्षा में नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा देने का अधिकारी नहीं है।

## पुस्तकालय

पुस्तकालय किसी भी शिक्षण संस्था का अपरिहार्य अंग एवं बौद्धिक विकास का महत्त्वपूर्ण आधार होता है। महाविद्यालय का पुस्तकालय मुक्त-पहुँच **Open access** (विद्यार्थी की पुस्तकों तक निर्बाध पहुँच) प्रणाली द्वारा संचालित है। वर्तमान में महाविद्यालय का पुस्तकालय विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम से संबंधित श्रेष्ठ व ज्ञानवर्धक पुस्तकों से युक्त है।

**पुस्तकालय के अधिकतम उपयोग हेतु निम्नांकित नियमों का पालन अनिवार्य है:—**

1. पुस्तकालय में बिना परिचय-पत्र के प्रवेश वर्जित है।
  2. पुस्तकालय में प्रविष्ट होने से पूर्व प्रत्येक छात्रा को अपना निजी सामान पुस्तकालय कर्मचारी को सँभलाकर टोकन प्राप्त करना होगा।
  3. महाविद्यालय में आपका शुल्क जमा हो जाने पर आपको पुस्तकालय से पुस्तकें इश्यू करवाने हेतु पाठक-पत्रक (टिकिट) दिए जाएँगे। आपके खोए हुए टिकिट पर कोई अन्य छात्रा पुस्तक प्राप्त कर लेता है तो उसका दायित्व आपका स्वयं का होगा। यह टिकिट अहस्तान्तरणीय है। दूसरे के टिकिट का उपयोग करने वाले छात्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। सत्र की समाप्ति पर, विश्वविद्यालय परीक्षा प्रारम्भ होने से पहले या महाविद्यालय छोड़ने से पहले टिकिट पुस्तकालय में जमा करवाकर **No Dues** लेना अनिवार्य है।
  4. स्नातक प्रथम पार्ट, द्वितीय तथा तृतीय पार्ट, के विद्यार्थियों को क्रमशः दो, तीन व चार पाठक-पत्र दिए जाते हैं जिन पर छात्रा 15 दिन के लिए एक-एक पुस्तक ले सकती है। निश्चित तिथि के बाद पुस्तक लौटाने पर 1 रुपया प्रतिदिन, प्रति पुस्तक के हिसाब से अर्थ-दण्ड लिया जाएगा।
  5. सात या सात से अधिक दिनों तक रहने वाले अवकाश के दिनों में पुस्तकें जमा कराने की तिथि के बीच में आने की स्थिति में विद्यार्थियों को यह छूट होगी कि वे महाविद्यालय खुलने पर प्रथम दो दिनों तक बिना विलम्ब शुल्क के पुस्तकें जमा करा सकेंगे। तत्पश्चात् जमा कराने पर प्रारम्भिक तिथि से ही विलम्ब शुल्क देना होगा।
  6. पुस्तक खोने पर /चिह्नित करने पर/पृष्ठ फटे हुए होने पर/पृष्ठ कम पाये जाने पर / पुस्तक की खराब हालत होने पर यथासम्भव नयी पुस्तक ही ली जाएगी अथवा नियमानुसार पुस्तक की दुगनी कीमत (विलम्ब शुल्क सहित) जमा करवानी होगी।
- वाचनालय व पुस्तकालय में अनुचित आचरण करने वाले के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी ।

## छात्र-कल्याण एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ

जहाँ एक ओर महाविद्यालय विद्यार्थियों से अच्छे अनुशासन की अपेक्षा करता है, वहीं उसके लिए उपयुक्त वातावरण बनाने के दायित्व का निर्वाह करते हुए विद्यार्थियों की शैक्षणिक व व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए यथासम्भव सहायता व मार्गदर्शन भी उपलब्ध करवाता है। यहाँ विभिन्न परिषदों व समितियों द्वारा आयोजित सहशैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को निखारने के अनवरत प्रयास किए जाते हैं। इस हेतु समस्त संकाय सदस्य एवं अन्य कर्मचारीगण, प्राचार्य के निर्देशन में सदैव तत्पर रहते हैं। विभिन्न विद्यालयों/क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों को प्रारम्भ में एक भिन्न परिवेश व वातावरण मिलने के कारण कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे विद्यार्थियों को यथोचित मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए तथा उनकी समस्याओं जैसे – विषय चयन, शुल्क-मुक्ति, छात्रवृत्ति आदि के समाधान के लिए एकेडमिक डीन तथा विद्यार्थी सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र सदैव तत्पर रहते हैं।

### विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना

आयुक्त राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प.4(छात्र सुरक्षा) अनु व गैर अनु शिक्षण/2010/2765-2845 दिनांक 12.07.2010 की अनुपालना में महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु 'विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना' प्रभावी की गई है। उक्त योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष की 15 अगस्त से आगामी वर्ष की 14 अगस्त तक, एक वर्ष के लिए रुपये दो लाख का बीमाधन होगा। जिसकी वर्तमान में प्रीमियम राशि रु.100/ प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष है। इस योजना की अन्य शर्तें सम्बन्धित विभाग के अनुसार होगी।

### मंच एवं परिषद्

महाविद्यालय में बौद्धिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करने के लिए कला परिषद्, विज्ञान परिषद्, महिला प्रकोष्ठ, आदि कार्यरत हैं।

इनका गठन प्रवेश की अन्तिम तिथि के 15 दिन बाद होता है तथा इनके पदाधिकारियों का मनोनयन गत परीक्षा में प्राप्त सर्वोच्च अंकों के आधार पर किया जाता है।

### विद्यार्थी सूचना एवं परामर्श केन्द्र

यह केन्द्र विद्यार्थियों को मुख्यतः उनकी शैक्षणिक व व्यावसायिक समस्याओं का समाधान ढूँढने में सहायता करता है। इस केन्द्र से विद्यार्थी व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश, देश-विदेश में छात्रवृत्तियों

और फ़ैलोशिप के लिए आवेदन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्वरोजगार की जानकारी प्रदान करने हेतु उद्यमिता जागृति शिविर का आयोजन भी किया जाता है।

## प्लेसमेंट सैल

यह केन्द्र विद्यार्थियों को विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में रोजगार दिलवाने में सहायता करता है। इसके माध्यम से विभिन्न संस्थाओं को आमंत्रित कर एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार विद्यार्थियों को रोजगारपरक जानकारी एवं Placement उपलब्ध करवाए जाते हैं।

## परिचय-पत्र

महाविद्यालय में नियमित रूप से प्रविष्ट प्रत्येक विद्यार्थी को प्राचार्य द्वारा परिचय-पत्र प्रदान किया जाता है। इस परिचय – पत्र पर विद्यार्थी का प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो होना अनिवार्य है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए यह आवश्यक है कि महाविद्यालय में सदैव अपना परिचय-पत्र अपने साथ रखे तथा माँगने पर प्रस्तुत करे। यह पूर्णतया अहस्तान्तरणीय है

## खेलकूद

महाविद्यालय में शारीरिक शिक्षा विभाग विद्यार्थियों के बहुआयामी व्यक्तित्व के विकास के लिए सत्र-पर्यन्त खेलकूद की गतिविधियों का आयोजन करता है। जिससे छात्राओं को स्थानीय, जिला स्तरीय एवं विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को चयन उपरान्त व अंतर्महाविद्यालय व अंतर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु भेजा जाता है।

## रेल/बस यात्रा में रियायत की सुविधा

नियमित विद्यार्थियों को अपने स्थायी निवास से आने व जाने के लिए रेल/बस यात्रा में रियायत की सुविधा दी जाती है। यह सुविधा केवल उन विद्यार्थियों को दी जाती है जिनके अभिभावक जयपुर से बाहर रहते हैं और उनका स्थायी पता प्रवेश आवेदन पत्र में यथा स्थान अंकित है। यह सुविधा महाविद्यालय कार्यालय में उपलब्ध निर्धारित फार्म भरकर प्राप्त की जा सकती है। यह सुविधा विद्यार्थियों को दशहरा, शीतकालीन या ग्रीष्मावकाश के अवसर पर स्थायी निवास हेतु आने-जाने के लिए प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त यह सुविधा महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों के लिए निम्नानुसार प्रदान की जाएगी:—

1. संस्थाओं द्वारा आयोजित शैक्षणिक यात्राओं के अवसर पर।

2. शैक्षणिक, सांस्कृतिक और खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन स्थानों के लिए महाविद्यालय द्वारा अपनी ओर से विद्यार्थियों को प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भेजे जाने पर।
3. ग्रामीण क्षेत्र से प्रतिदिन आने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार ने रियायती दर या मासिक-पास/ट्रैफिक-टिकट की सुविधा प्रदान की है इस हेतु कार्ड महाविद्यालय से बनवाया जा सकता है।

## महाविद्यालय परिसर में CCTV कैमरों से सुरक्षा

सम्पूर्ण महाविद्यालय परिसर में सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर CCTV कैमरों से सुरक्षा व्यवस्था को तीसरी आँख की तकनीकी सक्षमता प्रदान की गई है।

## शुल्क (राजकीय)

सभी विद्यार्थियों को निम्नलिखित शुल्क जमा करवाने होंगे। कोई भी अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने या किसी शुल्क में सरकार द्वारा वृद्धि किए जाने पर उस राशि का भुगतान भी करना होगा। महाविद्यालय में प्रवेश छात्राओं की शुल्क दरें निम्नानुसार है

स्नातक कला पार्ट प्रथम :- रु. 2080/-

स्नातक विज्ञान पार्ट प्रथम :- रु. 2180/-

नोट :- राज्य सरकार के नियमानुसार दिव्यांग (PH) श्रेणी की छात्राओं को स्नातक (कला/ विज्ञान) प्रथम में मात्र रु. 20 का भुगतान करना होगा।

## विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना

वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश संख्या प4(7) वित्त/राजस्व/02 दिनांक 11.12.02 आयुक्त, राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प.4 (छात्र सुरक्षा)/अनु व गैर अनु शिक्षण/2010/2765 – 2845 दिनांक 17.07.2010 की अनुपालना में महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना प्रभावी की गई है। उक्त योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष की 15 अगस्त से आगामी वर्ष की 14 अगस्त तक, एक वर्ष के लिए रुपये **दो लाख** का बीमाधन होगा। इस योजना की अन्य शर्तें संबंधित विभाग के अनुसार होगी।

**विशेष:-**(1)जाति या अन्य प्रमाण पत्र नियमानुसार अवधि में जारी किए गए होंगे तभी मान्य होंगे

(2)वर्ष 2019-20 से राजस्थान सरकार के आदेशानुसार छात्रा वर्ग को **GOVERNMENT FUND** के समस्त मदों के शुल्क से मुक्त किया जाता है

## छात्रवृत्तियाँ

महाविद्यालय के विद्यार्थियों को अनेक छात्रवृत्तियाँ देय होती हैं। इनमें से प्रमुख हैं:— अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति, देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना, मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, अल्पसंख्यक उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, दिव्यांग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, जनजाति क्षेत्र विकास (TAD) छात्रवृत्ति इत्यादि।

उक्त छात्रवृत्तियों के साथ अन्य छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचनाओं का विस्तृत विवरण निम्नांकित वेब पोर्टल्स पर प्राप्त किया जा सकता है:—

**1- [sje.rajasthan.gov.in](http://sje.rajasthan.gov.in)**

**2- [hte.rajasthan.gov.in](http://hte.rajasthan.gov.in)**

**3- [scholarships.gov.in](http://scholarships.gov.in)**

विद्यार्थी छात्रवृत्ति सम्बन्धी नवीनतम सूचनाओं के लिए समय-समय इन पोर्टल्स के साथ-साथ राज्य सरकार एवं भारत सरकार नवीनतम निर्देशों की जानकारी रखने के साथ महाविद्यालय में भी सम्पर्क कर सकते हैं।

## प्रवेश नियमावली

ऑन-लाइन प्रवेश हेतु आयुक्तालय की नई web-site <http://www.hte.rajasthan.gov.in/> पर प्रवेश नीति सहित समस्त जानकारी एवं प्रवेश नियमावली उपलब्ध है। <http://www.hte.rajasthan.gov.in/> web-site पर **ADMISSION** menu पर **CURSOR** आते ही **Department of College Education** दिखाई देगा एवं जैसे ही इसपर **CURSOR** आएगा तो **Under Graduate Admission drop down menu** दिखने लगेगा उस पर **Click** करते ही **SSO window** खुल जाएगी और इस पर अपनी **ID,PASSWORD & Captcha Code** भरकर **proceed** करेंगे तो **Admission Page** खुल जाएगा।

**( स्नातक द्वितीय वर्ष में ऑफ-लाइन प्रवेश प्रक्रिया के लिए)**

स्नातक (कला /विज्ञान) द्वितीय वर्ष में नवीन प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आयुक्तालय की वेबसाइट <http://hte.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड कर उन्हें पूर्ण रूप से भरकर महाविद्यालय कार्यालय में जमा करवाएं।

1. प्रवेश आवेदन पत्र भरने से पूर्व महाविद्यालय के वेब पेज पर अपलोड की गई इस विवरणिका का सावधानीपूर्वक आवश्यक रूप से पूर्ण अध्ययन कर लें।



2. महाविद्यालय के प्रत्येक संकाय/विषय में जितने छात्रों की संख्या निश्चित है, उतने ही स्थानों पर राज्य सरकार के नियमानुसार प्रवेश देय होगा। (प्रवेश की समय सारणी विवरणिका या प्रवेश-नीति में देखें।)
3. अपूर्ण अथवा निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् कोई भी प्रवेश नहीं होगा।
5. प्रवेश प्रार्थना पत्र के साथ निम्नलिखित प्रलेख होने आवश्यक हैं:—
  - (a) अर्हकारी परीक्षा अंकतालिका, चरित्र प्रमाण-पत्र, तथा स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रतियाँ। प्रवेश होने पर शुल्क के साथ ही मूल प्रमाण-पत्र जमा कराने होंगे।
  - (b) सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण – पत्र या अंकतालिका की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति।
  - (c) यदि छात्र/छात्रा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (अति पिछड़ा वर्ग के लिए भी **OBC प्रमाण-पत्र ही मान्य है**) का/की है तो उसकी पुष्टि में जिला कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के दण्डनायक/तहसीलदार का प्रमाण-पत्र संलग्न करें।  
**विशेष :-जाति या अन्य प्रमाण पत्र नियमानुसार अवधि में जारी किए गए होंगे तभी मान्य होंगे।**
  - (d) जिनके अभिभावक राजस्थान सरकार के ऐसे कर्मचारी हो जो आयकर दाता नहीं हैं, तो उनके तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र देने पर शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा।
  - (e) खेल आदि में प्रवेश योग्यता का प्रमाण पत्र जिनके आधार पर बोनस अंक प्रतिशत चाहा गया है।
6. जिन छात्रों/छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा उनके नाम कॉलेज के सूचना पट्ट पर पूर्व निर्धारित तिथि तक घोषित कर दिए जाएँगे। उसके उपरान्त छात्र/छात्राओं को निश्चित तिथि तक दस्तावेज सत्यापन करवा शुल्क जमा करना होगा तथा उन्हें प्रवेश – पत्र एवं पुस्तकालय कार्ड ले लेने चाहिए। निर्धारित तिथि तक प्रवेश शुल्क जमा न होने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।
7. प्रवेश हो जाने पर कार्यालय से अपना परिचय-पत्र फीस की रसीद प्रस्तुत कर प्राप्त कर लें। इसे महाविद्यालय में सदैव अपने साथ रखना होगा।
8. आवेदन-पत्र पर छात्र-छात्रा के पिता/संरक्षक के सही हस्ताक्षर होने चाहिए तथा उनका सत्यापन होना चाहिए। प्रत्येक असत्य विवरण का उत्तरदायित्व प्रार्थी का होगा।
9. महाविद्यालय में प्रवेश मिल जाने के बाद किसी विद्यार्थी का आचरण आपत्तिजनक पाया गया, उसने महाविद्यालय का अनुशासन भंग किया या प्रवेश आवेदन पत्र में कोई असत्य सूचना पाई गई, महाविद्यालय नियमों का उल्लंघन किया, अपने पिता/संरक्षक के स्थान पर अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर कराए अथवा स्वयं ने हस्ताक्षर किए तो उसका यह कार्य अत्यन्त अवांछनीय होने के कारण दण्डनीय अपराध समझा जाएगा और उसका प्रवेश तुरन्त रद्द कर दिया जाएगा।
10. सेवारत प्रार्थी अपने नियोक्ता अधिकारी का अनुमति सह अनापत्ति-पत्र संलग्न करें अन्यथा प्रवेश अवैध समझा जाएगा जिसके लिए प्रार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
11. महाविद्यालय छोड़ने के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि के भीतर काशनमनी वापस नहीं ली जाने की स्थिति में यह राजकीय कोष में जमा करा दी जाएगी।
12. प्राचार्य को यह अधिकार होगा कि उचित कारण होने पर बिना कारण बताए किसी भी आवेदन-पत्र को अस्वीकार कर दे। प्रवेश निरस्त कर दे।
13. प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से महाविद्यालय सूचना-पट्ट देखना चाहिए एवं प्रत्येक टर्म के अन्त में उपस्थिति की सूचना महाविद्यालय के सूचना-पट्ट पर लगायी जाएगी। सूचना प्राप्त न होने का दायित्व महाविद्यालय का नहीं होगा।
14. एन.सी.सी./एन.एस.एस. में प्रवेश हेतु सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क करें तथा सूचना पट्ट देखें।

15. स्थानान्तरण एवं चरित्र प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन-पत्र मय महाविद्यालय में अध्ययनरत वर्षों की सत्यापित अंकतालिका निर्धारित शुल्क सहित प्रस्तुत करने के पश्चात् अगले दिन कार्यालय से प्राप्त किए जा सकेंगे।
16. महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के एनरोलमेन्ट फार्म के साथ अपने मूल प्रलेख जमा करवाने से पूर्व उनकी पर्याप्त सत्यापित प्रतिलिपियाँ अपने पास रखे लें। प्रवेश के पश्चात् यह मूल प्रलेख लौटाना सम्भव नहीं होगा।
17. EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण के लाभ हेतु राजकीय नियमानुसार **EWS का प्रमाण-पत्र** लगाना होगा।

## प्रवेश सम्बन्धी अन्य निर्देश

1. महाविद्यालय में प्रवेश राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर निर्धारित अर्हताएँ होने तथा राजस्थान राज्य सरकार/ आयुक्त कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी नियमों तथा निर्देशों के अधीन ही किए जा सकेंगे। विश्वविद्यालय के नियम, उपनियम प्रकाशित होते रहते हैं।
2. निर्धारित पात्रता प्रतिशत से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले आवेदन पत्र जमा नहीं किए जायेंगे।
3. जन्म तिथि के लिए सैकण्डरी स्कूल के प्रमाण-पत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। आवेदनपत्र के साथ संलग्न प्रवेशार्थी छायाचित्र (फोटो) छह माह से अधिक पुराना न हो, साथ ही पहले किसी परीक्षा के प्रवेश पत्र आदि पर प्रयुक्त नहीं किया गया हो।
4. प्रत्येक संकाय के पार्ट प्रथम में उपलब्ध सीटों की 100 प्रतिशत प्रथम वरीयता सूची एवं 100 प्रतिशत प्रथम प्रतीक्षा सूची सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग /अति पिछड़ा वर्ग/विकलांग वर्ग के लिए अलग-अलग प्रकाशित की जाएँगी।
5. प्राचार्य किसी भी प्रवेशार्थी की प्रवेश नहीं दिए जाने का अथवा संकाय/विषय बदलने की अनुमति नहीं दिए जाने का कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।
6. एक से अधिक संकाय/विषय में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को अलग – अलग संकाय/विषय में प्रवेश हेतु अलग-अलग आवेदन-पत्र भरने होंगे।
7. सूचना-पट्ट पर सूचना लगाने से तात्पर्य है कि विद्यार्थी को सूचना प्राप्त हो गई है।
8. विस्तृत सूचनाएँ महाविद्यालय की वेब – पेज पर देखी जा सकती हैं।
9. पात्रता रखने वाले स्वयंपाठी/अन्य महाविद्यालय से आने वाले विद्यार्थियों को किसी भी कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में उपलब्ध विषय-समूहों में ही दिया जाएगा।
10. प्रवेशार्थी महाविद्यालय में मूल अंक तालिका जमा करवाने से पूर्व उसकी फोटो प्रतियाँ अपने पास अवश्य रख लें।
11. साथ महाविद्यालय में समय – समय पर जमा करवाए जाने वाले विभिन्न शुल्कों की मूल रसीदें भी सुरक्षित रखें।

## सह-शैक्षणिक गतिविधियों का चयन एवं सहभागिता

महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के सम्पूर्ण विकास तथा उन्हें शैक्षिक, भौतिक, सांस्कृतिक तथा कैरियर/रोजगार सम्बन्धी अतिरिक्त ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ तथा विभिन्न प्रकार के प्रकोष्ठ संचालित किए जाते हैं। आयुक्तालय द्वारा इन सभी गतिविधियों तथा प्रकोष्ठों को सुव्यवस्थित करने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में प्रवेश नीति 2023-24 में आवश्यक व्यवस्था कर दी गई है।

### महाविद्यालय परिवार

कार्यवाहक प्राचार्य : डॉ. पी. एस. बुनकर

#### संकाय सदस्य

	कला संकाय
संस्कृत विभाग	डॉ. पी. एस. बुनकर
गृह विज्ञान, विभाग	डॉ. अनुपमा जौहरी
अंग्रेजी विभाग	श्री शैलेन्द्र शर्मा
इतिहास विभाग	डॉ. सर्वदमन मिश्र
राजनीतिक विज्ञान	डॉ. भवरी शर्मा डॉ. ममता शर्मा
हिन्दी विभाग	डॉ. मकरंद भट्ट
भारतीय संगीत	रिक्त
	विज्ञान संकाय
प्राणी शास्त्र विभाग	डॉ. सुलोचना शर्मा
वनस्पति शास्त्र विभाग	डॉ. रेनू सिंह
भौतिक शास्त्र विभाग	डॉ. महेश चंद्र मिश्रा
रसायन शास्त्र विभाग	डॉ. कमलेश कुमार डबरिया
गणित विभाग	रिक्त

#### कार्यालय स्टाफ

कनिष्ठ सहायक

श्री गौरव गिरीश जोशी

## प्रवेश समितियाँ एवं सम्पर्क

सत्र 2023–24

डॉ. कमलेश कुमार डबरिया  
नोडल अधिकारी स्नातक  
सम्पर्क सूत्र – 7597793125

### विद्यार्थी हेल्प डेस्क

डॉ. अनुपमा जौहरी	संयोजक	7976951930
श्री शैलेंद्र शर्मा	सदस्य	9414775718
डॉ. कमलेश कुमार डबरिया	सदस्य	7597793125
डॉ. महेश चंद्र मिश्रा	सदस्य	9460135699
डॉ. ममता शर्मा	सदस्य	9351317083

### प्रवेश समितियाँ (स्नातक पार्ट प्रथम)

संकाय	नाम	पद नाम	मोबाईल नम्बर	
<u>कला</u>	डॉ. भंवरी शर्मा	संयोजक	9928084320	
	डॉ. सर्वदमन मिश्र	सदस्य	9413312284	
	डॉ. मकरंद भट्ट	सदस्य	9414770409	
	डॉ. ममता शर्मा	सदस्य	9351317083	
	श्री गौरव गिरीश जोशी	सदस्य	8529627405	
<u>विज्ञान</u>	डॉ. रेनू सिंह	संयोजक	9414595136	
	डॉ. महेश चंद्र मिश्रा	सदस्य	9460135699	
	श्री गौरव गिरीश जोशी	सदस्य	8529627405	

**प्रवेश समितियाँ**  
(स्नातक पार्ट द्वितीय )

क्र. सं.	कक्षा	नाम	पदनाम	मोबाइल
03	<u>बी. ए. पार्ट—द्वितीय</u>	श्री शैलेंद्र शर्मा	प्रभारी	9414775718
05	<u>बी. एससी. पार्ट—द्वितीय</u>	डॉण सुलोचना शर्मा	प्रभारी	9414960615

**नोट—: नवीन प्रवेश आवेदन—पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण—पत्र संलग्न करने होंगे:—**

1. अर्हकारी परीक्षा की अंकतालिका स्वयं द्वारा सत्यापन प्रतिलिपि 02
  2. सैकण्डरी की अंकतालिका/प्रमाण— पत्र स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि 01
  3. स्थानांतरण प्रमाण—पत्र (T.C) स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि 01
  4. चरित्र प्रमाण – पत्र (C.C) स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि 01
  5. अनुसूचित जति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग प्रमाण—पत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि 01
  6. माइग्रेशन सर्टिफिकेट सत्यापित प्रतिलिपि
  7. आधारकार्ड, यदि आप बी.पी.एल. परिवार सदस्य है तो बी.पी.एल. कार्ड की सत्यापित प्रतिलिपि
  8. खेल, एन.सी.सी., एन.एस.एस., स्काउट, सांस्कृतिक, साहित्यिक गतिविधि आदि में विशेष योग्यता का प्रमाण पत्र जिनके आधार पर बोनस अंक प्रतिशत चाहा गया है की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि
  9. सभी नवीनीकरण करने वाले विद्यार्थियों को अपने प्रवेश आवेदन –पत्र के साथ पूर्व उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका की एक स्वयं द्वारा सत्यापित फोटो प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- महाविद्यालय में प्रवेश सूची में नाम आने पर प्रवेशार्थी को मूल—प्रमाण पत्र प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे तथा विहित प्रक्रियानुसार प्रवेश शुल्क जमा करवाना होगा। महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क जमा कराने के पश्चात् नियमानुसार प्रावधानों के सिवा किसी भी दशा में लौटाया नहीं जाएगा।
- विद्यार्थियों का स्वयं का दायित्व होगा कि वे महाविद्यालय के सूचना पट्ट से जानकारी प्राप्त करते रहें एवं सम्बन्धित प्रभारी के सम्पर्क में रहें। व्यक्तिगत सूचना देने का महाविद्यालय का कोई दायित्व नहीं है। सूचना नहीं मिली ऐसा कोई बहाना स्वीकार्य नहीं

